रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032021-226268
CG-DL-E-31032021-226268

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1299]	**नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2021/चैत्र 9, 1943**
No. 1299]	**NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2021/CHAITRA 9, 1943**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2021

का.आ. 1404(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3254 (अ), तारीख 5 जुलाई, 2018 तथा का. आ. 3690 (अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2019 द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 911 (बाप के निकट रारा-11 के साथ राजमार्ग अपने जंक्शन से आरंभ होकर नौख , चरनवाला, रंजीतपुरा, गोडडु, गोकुल, तवरवाला, जग्गासर, दंतूर को जोड़ता हुआ पूगल पर समाप्त होता है) तथा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 911 ए (पूगल के निकट रारा 911 के साथ राजमार्ग अपने जंक्शन से आरंभ होकर अलादीन का बेरा और खाजूवाला पर समाप्त होता है), को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्राधिकरण” कहा गया है) को सौंपा है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “नियम” कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 911 के पूगल-दंतूर-जग्गसार-गोकुल-गोड्डु-रंजीतपुरा-चरनवाला-नौख-बाप सेक्शन के डिजाइन किमी 1.430 से डिजाइन किमी 182.725 (विद्यमान किमी 1.431 से विद्यमान किमी 183.681) और राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 911ए के खाजूवाला से पूगल सेक्शन तक के डिजाइन किमी 0.00 से डिजाइन किमी 30.812 (विद्यमान किमी 0 से विद्यमान किमी 31.668) तक पेव्ड

शोल्डर सहित दो लेन के उपयोग के लिए सड़क खंड की निवल लंबाई 207.807 कि.मी हेतु यांत्रिक वाहनो के प्रकार पर नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में दिए विनिर्दिष्ट दर के 60% दर से और चार लेन के उपयोग के लिए सड़क खंड की निवल लंबाई 4.300 कि.मी हेतु नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में दिए विनिर्दिष्ट दर के 100% दर से नीचे सारणी (1) के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उद्गृहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	**4.20**

1. नीचे उद्गृहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा :

सारणी -2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान(चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले में गंगाजली गांव के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग -911 के डिजाईन कि.मी 19.520.(विद्यमान कि.मी. 19.525) पर	63.432	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	0.800	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले में बरसालपुर गांव के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग -911 के डिजाईन कि.मी.81.700 (विद्यमान कि.मी. 81.705) पर	69.970	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	2.180	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले में सोरा गांव के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग -911 के डिजाईन कि.मी. 167.700 (विद्यमान कि.मी. 167.731) पर	74.405	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	1.320	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2020-21 के लिए मासिक पास की दर 275.00/- रूपए (दो सौ पचहत्तर रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

3 राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-3		
संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

4 जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

5 जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को रारा शुल्क नियम 2008 के नियम 10 के उप नियम (1ए) के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

6. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

7 उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।

8 ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

9 इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 983.36 करोड़ रुपए है। [पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।] प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. 13203/1/2020/शुल्क अधिसूचना (बीएम10)]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2021

S.O. 1404(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3254 (E) dated 5th July 2018 and S.O. 3960(E) dated 31st October 2019 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act 1988 (68 to 1988) , the Central Government has entrusted the National Highway Number 911 (The highway starting from its junction with NH-11 near Bap connecting Naukh, Charanwala, Ranjitpura, Godu, Gokul, Tawarwala, Jaggasar, Dantour, and terminating at Poogal) in the State of Rajasthan and National Highway Number 911A (The highway starting from its junction with NH-911 near Poogal connecting Alladin ka Bera and terminating at Khajuwala (Beriyanwala)) in the State of Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at 60% of the rates specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 207.807 km for the use of two lane with paved shoulder section and at 100% of the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 4.300 km for the use of four lane section on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 of Khajuwala to Poogal section from design kilometre 0.00 to design kilometre 30.812 (existing kilometre 0 to existing kilometre 31.668) of National Highway 911A in the State of Rajasthan and Poogal - Dantour - Jaggasar - Gokul - Goddu - Ranjeetpura - Charanwala - Naukh - Bap section from design kilometre 1.430 to design kilometre 182.725 (existing kilometre 1.431 to existing kilometre 183.681) of National Highway 911 in the State of Rajasthan and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely: -

Table-2

Location of Fee Plaza (chainage)	**Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At design km 19.520 (existing km 19.525) of National Highway-911 at Gangajali Village of Bikaner District in Rajasthan State	63.432	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above
	0.800	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At design km 81.700 (existing km 81.705) of National Highway-911 at Barsalpur Village of Bikaner District in Rajasthan State	69.970	60% for two lane with paved shoulder, of the base rates mentioned in Table-1 above
	2.180	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At design km 167.700 (existing chainage 167.731) of National Highway-911 at Seora Village of Bikaner District in Rajasthan State	74.405	60% for two lane with paved shoulder, of the base rates mentioned in Table-1 above
	1.320	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 275.000 (Two Hundred and Seventy-Five Only) for the year 2020-21 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-3

Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

8. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

9. The estimated capital cost of the project is Rupees 983.36 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. 13203/1/2020/Fee Notification(BM10)]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.03.31 19:26:08 +05'30'